

उपखण्ड आधक
रूपनगढ़ (अजमेर)

4/24

प्राथमिक द्वारा प्रार्थना-पत्र कास्ते परावली
तलब कर किडो किये जानेकसत पेशकरने
पर परावली तलब की गयी प्राथमिक
एवं वकील प्राथमिक उपस्थित। यं कि
मूल वाद खारिज किया जा चुकते, इस

जोसु

महबब री

अमीन



कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रार्थना का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

~~A~~ ^{व्या/ग/अ}
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

020
कल

